रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129] दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 2012/श्रावण 8 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 110

No. 129] DELHI, MONDAY, JULY 30, 2012/SHRAVANA 8, 1934 [N.C.T.D. No. 110

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जुलाई, 2012

सं. फा. 6(157)/आईटी/टेक/2012/4105-15.—सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली, 2011 (साईबर कैफे के लिये दिशा निदेश) के नियम 2(ख) तथा नियम 3 के साथ पठित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा उक्त नियमावली के प्रयोजन हेतु प्रत्येक राजस्व जिला दिल्ली, के उपायुक्तों को उनके क्षेत्राधिकार में साईबर कैफे के पंजीकरण के लिये एजेंसी के रूप में प्राधिकृत एवं पदनामित करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अजय चगती, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

Delhi, the 30th July, 2012

No. F. 6(157)/IT/Tech/2012/4105-15.—In exercise of the powers conferred by Section 90 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) read with rule 2(b) and rule 3 of the Information Technology (Guidelines for Cyber Cafe) Rules, 2011, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby authorizes and designates the Deputy Commissioners of each Revenue District of Delhi as the agency for registration of cyber cafes within their respective territorial jurisdiction, for the purpose of the said rules.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

AJAY CHAGTI, Addl. Secy.

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जुलाई, 2012

सं. फा. 5(54)/पोलिसी-II/वैट/2011-12/394-405.—जबकि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के पारस्परिकता के सिद्धांतों के अनुरूप, नई दिल्ली में गुनिया गणराज्य के दूतावास की सरकारी खरीद एवं इसके राजनयिकों के द्वारा निजी खरीद के पक्ष में, तत्काल प्रभाव से, वैट रिफंड की सुविधा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से पत्र संख्या डी-II/451/12(09)/2012, दिनांक 22-6-2012 के द्वारा, अनुरोध किया गया है।